

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/आरोप (शेखपुरा) 02-94/2024-

(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

समाहर्ता, शेखपुरा के पत्रांक-1270/रा०, दिनांक-20.11.2024 द्वारा श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा श्रीमती संजु कुमारी, पिता-श्री जगदीश दास, पति-श्री सुधांशु कुमार, वर्तमान पता-ग्राम पदमपुर, प्रखंड सत्तर कटैया, थाना बिहरा, जिला-सहरसा का 'तेली' जाति का गलत जाति प्रमाण-पत्र (BCCCO/2021/4529206, दिनांक-04.09.2021) निर्गत गया। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा विभिन्न स्तरों से जाँचोपरान्त श्रीमती संजु कुमारी का जाति "चमार" विनिश्चित की गई। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा वाद सं०-73/2022 यशोधर ठाकुर बनाम संजु कुमारी में राज्य स्तरीय स्कूटनी कमिटी (निदेशालय) के प्रतिवेदन के आधार पर माननीय आयुक्त के न्यायालय द्वारा जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में विभागीय परिपत्रों एवं निदेशों का अनुपालन नहीं करने तथा गलत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिये आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुर्नगठित करते हुए विभागीय पत्रांक-659(15) दिनांक-28.04.2025, पत्रांक-1079(15) दिनांक-01.07.2025, पत्रांक-1892(15) दिनांक-03.11.2025, पत्रांक-180(15) दिनांक-20.02.2026, पत्रांक-583(15) दिनांक-17.04.2026 से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में अप्राप्त होने के कारण 20 जून, 2026 को समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। इसके बावजूद भी श्री प्रकाश का बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में अप्राप्त है।

3. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री ओम प्रकाश के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), शेखपुरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेखपुरा सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री प्रकाश से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्ता, शेखपुरा/अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), शेखपुरा/भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेखपुरा सदर/श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(गिरधारी लाल),

सरकार के संयुक्त सचिव।

स्पीड-पोस्ट
ई-मेल

ज्ञापांक-15/आरोप (शेखपुरा) 02-94/2024-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, शेखपुरा/भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेखपुरा सदर/श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी (स्थायी पता-पिता-श्री अनंत प्रकाश, मोहल्ला-आदिवासी कॉलोनी, पो0-गुलजारबाग, थाना-आलमगंज, जिला-पटना, पिन-800020) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(गिरधारी लाल),

सरकार के संयुक्त सचिव।

स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक-15/आरोप (शेखपुरा) 02-94/2024-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), शेखपुरा को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए जाँच-प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0- आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/-

(गिरधारी लाल),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (शेखपुरा) 02-94/2024-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-3135 दिनांक-30.07.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(गिरधारी लाल),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (शेखपुरा) 02-94/2024-.....1670.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-25/09/26.....

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना(मूल प्रति में)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गिरधारी लाल),

सरकार के संयुक्त सचिव।